

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
दो-दो-दो कार्यालय(एनएच)  
Ministry of Environment, Forests & Climate Change  
Regional Office (Central Region)

पृष्ठ 1 संख्या 1  
को 2 संख्या 2

केन्द्रीय भवन, पथक 12, सेक्टर 11, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 12th Floor, Sector '11' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324346, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m. env@rediffmail.com, (Forest) goimech@rediffmail.com

पत्र सं० 8वीं/यू.पी./06/06/2016/एफ.सी./1353

दिनांक:

सेवा में,  
नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,  
वन उपयोग वृत्त, उत्तर प्रदेश,  
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु कंकनारे बाबा गाला पर 2 X 5 मीटर स्थान एवं 7.00 मीटर ऊंची आशरसीतसीठ बक्स कन्सर्ट एवं कर्व गरमता हेतु 0.3 हेठ वन भूमि का प्रस्तावर्तन।

सन्दर्भ : ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/15564/2015

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त विषयवर्तित परियोजना में वन संरक्षण के अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति हेतु ऑन लाईन प्रस्ताव प्रेषित किया है।

ऑनलाईन प्रस्ताव परनिरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियों पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है

1. जिला बांदा में इको क्लस्टर 1 दिखाया गया है जो कि गलत है।
2. प्रस्ताव के भाग 11 में परियोजना का विस्तीर्ण ले आउटल 2.16 करोड़ दर्शाया गया है जबकि प्रति दिन एक मी व्यक्ति योजनापर लगायित गयी है। इसका क्या कारण है?
3. प्रस्ताव के भाग-1 के आगे के दो पृष्ठ अस्पष्ट है।
4. प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया ले आउट प्लान वन विभाग द्वारा प्रमाणित नहीं है एवं संबंधित मानचित्र भी अस्पष्ट है।
5. प्रस्ताव में संलग्न वन भूमि की अधिसूचना में यह नहीं दर्शाया गया है कि कौन सा भाग प्रस्ताव में प्रस्तावर्तन हेतु प्रस्तावित है।
6. प्रस्तावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मूल्यांकित डिजीटल मानचित्र मुख्य बिन्दुओं को जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ नहीं उपलब्ध कराया गया है। कोर्डिनेट्स को सारिणी में उपलब्ध कराया गया है किन्तु इसे मानचित्र में बिन्दुओं के साथ लिंक नहीं किया गया है।
7. टोपोग्रीफ अस्पष्ट है एवं उसमें कुछ भी समझना मुश्किल है।
8. भाग 11 में वातन किये जाने वाले वृक्षों के ब्यारे में उठ सेमीठ व्यास के वृक्षों की गणना नहीं की गयी है।
9. प्रस्ताव में कृत्रिमक वृक्षरोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का मानचित्र एवं योजना नहीं उपलब्ध करायी गयी है।
10. प्रस्ताव अमूर्त है। मूल प्रस्ताव की मौखिक प्रति भी अपेक्षित है। यदि उसमें कोई और त्रुटि पायी जाती है तो उसको भी पत्र के द्वारा सूचित किया जाएगा।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक (वेठ)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव(वन),वन अनुभाग, एवं वनवायु मन्त्र, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रांतीय वनसंरक्षक, बांदा वन प्रभाग, बांदा, उठ प्रठ।
3. अधिसारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड 2, लोक निर्माण विभाग, बांदा, उठ प्रठ।
4. श्री कमल मिश्रा, राज्यवायु अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दो-दो-दो कार्यालय, लखनऊ, को केबलवाइत पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली ।

संख्या-ई.ए.सी-64/14-2-2016  
दिनांक : 16 मार्च, 2016

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक (वेठ)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उठप्रठ लखनऊ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का निराकरण करते हुए अपेक्षित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार)  
विशेष सचिव।